निर्णय बइजलास श्री संजीव कुमार खेदड़, सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमंद

प्रकरण संख्या– 05/2024 प्रार्थना पत्र
दायर दिनांक– 06/03/2024
निर्णय दिनांक– 04/09/2024

अनवान

1. अम्बालाल पिता गणेशलाल जाति नाई निवासी निवासी – देवगढ़ तहसील–देवगढ़ जिला–राजसमन्द (राज.)

– प्रार्थी

:: बनाम ::

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)
2. चान्दमल पिता गणेशलाल जाति नाई निवासी निवासी – देवगढ़ तहसील–देवगढ़ जिला–राजसमन्द (राज.)

–अप्रार्थीगण

उपस्थित :–
गोविन्द कंसारा अधिवक्ता प्रार्थीगण
राजस्थान राज्य की और से पेरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136, 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर प्रार्थी की ओर से निवेदन किया गया कि ग्राम देवगढ पटवार देवगढ तह0 देवगढ जिला राजमसन्द मे प्रार्थी व विपक्षीगण संख्या 2 के नाम पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2062 से 2065 मे खाता संख्या 338 खसरा संख्या 1728 रकबा 1.02 बीगा भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी उक्त भूमि प्राथी व विपक्षी संख्या दो के मध्य आपसी सहमति से भूमि का विभाजन हुआ जिसमे बाद विभाजन प्राथी अम्बालाल के नाम खसरा संख्या 1728/1 रकबा 0.02 बिघा व विपक्षी संख्या 2 के नाम खसरा संख्या 1728 रकबा 1 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड मे जरिये नामांतरण संख्या 3566 दर्ज हुए। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2 मध्य माफिक विभाजन राजस्व रिकार्ड मे अलग से नक्शा दर्ज हुआ प्रार्थी की अन्य आराजी संख्या 1723 के साथ 2 विसवा भूमि राजस्व नक्शे मे बाद दर्ज की गई एवं विपक्षी संख्या 1 की भूमि 1 बीघा भूमि का अलग से नक्शा बनाया गया उक्त नांमान्तरण एंव बटवारा सटलमेन्ट

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ (राज.) जिला राजसमन्द

की प्रकिया से पुर्व हो चुका था। वर्तमान मे बाद सटलमेन्ट प्राथी की पूर्व आराजी संख्या 1728/1 रकबा 0.02 बीघा के नवीन आराजी संख्या 1992 रकबा 0.02 हैक्टर दर्ज हुए एवं विपक्षी संख्या 2 के पूर्व आराजी संख्या 1728 रकबा 1 बीघा के नवीन आराजी संख्या 1992 रकबा 0.2200 हैक्टर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुए उक्त दोनो खसरे पूर्व खसरे के रकबा खसरा मिलान सही रूप से दर्ज हुए मगर राजस्व नक्शे मे सेटलमेन्ट एवं सेग्रीगेशन द्वारा बिना राजस्व रिकार्ड के बटवारा नक्शा देखे गलत रूप से नक्शे मे मन मक ुद तरीके से गलत अंकन कर दिया गया। जहा प्रार्थी पूर्व मे काबीज था जहा पूर्व मे बटवारे अनुसार राजस्व नक्शे मे प्राथी के नवीन आराजी संख्या 1992 रकबा 0.02 हैक्टर भूमि का नक्शा अलग अंकन कर दिया गया जबकी प्रार्थी का नक ा प्राथी के नवीन आराजी संख्या 1985 के सटमा (समीप) था। प्रार्थी के नवीन खसरा संख्या 1985 व 1992 दोनो ही खसरे एडज्योनिगं मिले हुए थे सेटलमेन्ट के बाद दोनो खसरे की आराजी पृथक–पृथक दूर–दुर नक ो मे अंकन कर दिया गया। उक्त गलती सेटलमेन्ट करते हुए इन्द्रज खतोनी करते हुए हुई। उक्त भुमी वर्तमान में प्रार्थी के खाते राजस्व रेकार्ड में दर्ज है परन्तु लिपिकिये भुल से वर्तमान खसरे के नक्से में गलत तरमिम हो जाने से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड रहा है वास्तव में उक्त गलती राजस्व रेकार्ड में ईन्द्राज संधारक के समय वर्षानुवासी सेटलमेंट ईन्द्राज खतोनी के समय लिपिकिय गलती के रूप से हुई । विपक्षी संख्या 2 का भी नक्से मे गलत रूप से तरमीम भूमि हुआ है इसलिये उन्हे प्रकरण के आव यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाये गये है। विपक्षी 1 राज्य सरकार जरीये प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ है राजस्व रेकार्ड से सम्बधीत समस्त जमाबन्दी एव देख रेख में उन्ही के अधिनस्थ रहता है इसलिये उन्हे प्रकरण का आवश्यक पक्षकार बनाया गया है एव रेकार्ड दुरस्त पुनः उन्ही के द्वारा बनाया जाना है। उक्त ईन्द्राज गलत दर्ज होने कि जानकारी मुझ प्रार्थी को पुर्व कि जमाबन्दी नकल लेने एव पटवार हल्का संम्पर्क करने से दिनांक 20.09.2023 को उत्पन्न हुई तब से वाद हेतुक उत्पन्न हो निरन्तर जारी है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम देवगढ पटवार हल्का देवगढ़ तह0 देवगढ जिला राजमसन्द के वर्तमान खसरा न0 1992 व 1991 में दर्ज राजस्व रेकार्ड व हिस्से व नक्सा तरमीम को जरीये ईन्द्राज दुरस्त करते हुये पुर्व बटवारा एवं नक्शे अनुसार खसरा 1728/1 व 1728 , भुमी के दर्ज तरमीम नक्से को इन्द्राज अनुसार जहा प्रार्थी का नक्सा राजस्व रेकार्ड में अंकन था उसी जगह राजस्व रेकार्ड के नक्सा ट्रेस में अकन करते हुए ईन्द्राज दुरस्ती किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किया गया जो सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुआ। प्रत्युत्तर में अप्रार्थी संख्या 01 पैरोकार सरकार की ओर से भू–अभिलेख निरीक्षक देवगढ़ एवं पटवारी हल्का देवगढ़ की संयुक्त जांच रिपोर्ट पेश किया एवं पृथक से जवाब पेश नहीं किया। जांच रिपोर्ट में उल्लेखित है कि ग्राम देवगढ़ के वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 24 आराजी संख्या 1985 रकबा 0.0800 हैक्टेयर 1992 रकबा 0.0200 हैक्टेयर खातेदार अम्बालाल पिता गणेशलाल हिस्सा पूर्ण जाति नाई सा

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ (राज.) जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

देह खातेदार एवं खाता संख्या 365 आराजी संख्या 1991 रकबा 0.2200 हैक्टेयर चांदमल पुत्र गणेशलाल हिस्सा पूर्ण जाति नाई दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम देवगढ में पुराने आराजी संख्या 1728 रकबा 1.02 बीघा सहमति विभाजन से आराजी संख्या 1728/1 रकबा 0.02 विश्वा अम्बालाल पिता गणेशलाल हिस्सा पूर्ण जाति नाई सा देह खातेदार व आराजी संख्या 1728 रकबा 01 बीघा चांदमल पिता गणेशलाल हिस्सा पूर्ण जाति नाई के नाम दर्ज हुआ। ग्राम देवगढत्र का वक्त सेटलमेन्ट के दौरान आराजी संख्या 1728 रकबा 01 बीघा के नवीन आराजी संख्या 1991 रकबा 0.2200 हैक्टेयर व आराजी संख्या 1728/1 रकबा 0.02 विश्वा के नवीन आराजी संख्या 0.0200 हैक्टेयर बनाये गये। प्रार्थी पुराने नक्शे व पुराने राजस्व रिकार्ड अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। ग्राम देवगढ़ नवीन सेटलमेन्ट में प्रार्थी की भूमि पुराने नक्शे से भिन्न तरमीम कर दी गई है। वर्तमान नक्शे में आराजी संख्या 1991 व 1992 की तरमीम निरस्त कर एक चक करते हुये कब्जेनुसार पुनः तरमीम किया जाना अपेक्षित है। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर स्वयं उपस्थित हो जवाब पेश किया जिसके विशेष उत्तर में उल्लेखित है कि ग्राम देवगढ़ पटवार हल्का देवगढ़ जिला राजसमन्द के वर्तमान खसरा संख्या 1992 व 1991 में दर्ज राजस्व रेकॉर्ड व नक्शा तरमीम को जरिये इन्द्राज दुरस्त करते हुये पूर्व दर्ज तरमीम नक्शे व कब्जे अनुसार जहां प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 02 का नक्शा राजस्व रिकार्ड में अंकन था उसी जगह राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करते हुए इन्द्राज दुरस्ती की जावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निवदेन किया प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में जरिये इन्द्राज शुद्धि किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। प्रार्थी अधिवक्ता ने बताया कि प्रार्थी के नाम पूर्व में माफिक बंटवारा खसरा संख्या 1728/1 रकबा 0.02 बीघा भूमि दर्ज हुई एवं अप्रार्थी संख्या 02 के नाम 1728 रकबा 01 बीघा भूमि दर्ज हुई एवं उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे अनुसार तरमीम हुआ जो पूर्व नक्शे स्पष्ट है वर्तमान में प्रार्थी के नाम 1728/1 रकबा 0.02 बीघा भूमि के नवीन आराजी संख्या 1992 रकबा 0.02 हैक्टेयर भूमि दर्ज हुई एवं खाता संख्या 1991 के साथ नक्शे में संयुक्त हो गये जबकि प्रार्थी के साथ शेष आराजीयात के साथ खसरा संख्या 1992 का नक्शा खसरा संख्या 1985 के सटमा होना था जो पूर्व बंटवारा एवं नक्शा से स्पष्ट से थे। अप्रार्थी संख्या 02 ने भी इकबालिया जवाब पेश कर निवेदन किया पूर्व तरमीम नक्शे एवं कब्जा अनुसार राजस्व रिकार्ड में तरमीम की जाने की सहमति दी। दौराने बहस पैरोकार सरकार ने मौका रिपार्ट की ताईद की।

उभयपक्ष की बहस का मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार देवगढ़ द्वारा मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, देवगढ़ के मौका रिपोर्ट के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा ट्रेस में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131, 132 राजरथान भू–राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार, देवगढ को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम देवगढ पटवार मण्डल देवगढ़ तहसील देवगढ़ में प्रार्थी के नाम पूर्व खसरा संख्या 1728/1 व 1728 में तरमीम नक्शे अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान खसरा संख्या 1991 एवं 1992 को निरस्त कर शुद्ध किया जावें एवं प्रार्थी के पूर्व खसरा संख्या 1985 एवं 1992 सम्मिलित थे उसी अनुसार शेष खसरा संख्या 1991 को अप्रार्थी संख्या 02 को पूर्व तरमीम नक्शे अनुसार नक्शे इन्द्राज शुद्धि किये जाने का आदेश दिया जाता है। तरमीम की विधिसम्मत नियमानुसार कार्यवाही की जावें। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार देवगढ़ को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 04/09/2024 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)